न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—220/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/220)

1. माया पत्नि स्व0 श्री कैलाश, उम्र 36 वर्ष,
2. कोमल पुत्री स्व0 श्री कैलाश उम्र 11 वर्ष
3. आरती पुत्री स्व0 श्री कैलाश उम्र 16 वर्ष
4. आर्यन पुत्र स्व0 श्री कैलाश उम्र 13 वर्ष
   (2 से 4 अपीलार्थीगण जरिए माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका अपीलांट संख्या 1) समस्त जाति रेगर, निवासी ककलाना रोड रेल्वे फाटक के पास ग्राम हटूण्डी, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रतन लाल पुत्र श्री प्रताप, उम्र 53 वर्ष निवासी सापुन्दा, तहसील सरवाड जिला केकडी।
2. मैना पुत्री स्व0 श्री प्रताप पत्नी श्री हेमाजी रेगर उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सोबडी, तहसील भिनाय जिला केकडी
3. मुन्नी पुत्री स्व0 श्री प्रताप पत्नी सुवा रेगर, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भूडियाखेडा, तहसील भिनाय, जिला केकडी।

प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

4. तहसीलदार, तहसील सरवाड जिला केकडी।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 13.09.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड राजस्व वाद संख्या 154/2023

उपस्थितः—

1. श्री तुलवीर सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः—28.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 154/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में

अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 13.9.2023 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 154/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि वादी रतनलाल ने दिनांक 13.9.2023 को अपीलार्थीगण का गलत पता ग्राम साम्पुदा का देकर मिलीभगत से समन लेने से इंकार की रिपोर्ट चालाकी से लिखवा दी, जबकि अपीलार्थीगण अपने परिवार व बच्चों के साथ लगभग 30 वर्षो से ग्राम हटूण्डी, तहसील व जिला अजमेर निवास कर रही है। अपीलार्थीगण को वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का दिनांक 16.8.2024 को ज्ञात हुआ तो उपखण्ड अधिकारी, सरवाड से नकलें प्राप्त की और उसके बाद वर्तमान अपील प्रस्तुत की जो ज्ञान की दिनांक से अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5*

मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि श्रीमती माया विधवा कैलाश अपने बच्चों के साथ ग्राम हटूण्डी में 30 वर्षो से रह रही थी, कभी भी ग्राम साम्पुदा में नहीं रहे, लेकिन (वादी/प्रार्थी) रेस्पोडेंट संख्या 1 ने न्यायालय को अंधेरे में रखकर गलत रूप से निवासी ग्राम साम्पुदा, तहसील सरवाड, जिला केकडी में बताकर समन/नोटिस ग्राम साम्पुदा में भिजवाकर फर्जी तरीके से मिलीभगती से लेने से इंकार बताकर एकतरफा कार्यवाही वादपत्र तथा प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश प्राप्त कर लिया, जो गैर कानूनी व अवैध होने से निरस्त करने योग्य है। पर्याप्त तामीली भी नहीं हुई। विवादित कृषि भूमि में अपीलार्थी के पति का स्व0 कैलाश का 1/5 वां हिस्सा व स्व0 रामदेव का 1/5 वां हिस्सा व उसकी माता श्रीमती राधा विधवा स्व0 प्रताप का हिस्सा सहित कुल 2/5 स्व0 रामदेव को प्राप्त हो गया था, लेकिन रतनलाल रेस्पोडेंट संख्या 1 विवादित कृषि भूमि में 1/5 का दावा कर रहा है जो कि गलत है। रतनलाल वादी की पत्नी श्रीमती नर्बदा स्वयं ग्राम हटूण्डी में रहकर विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है, रतनलाल प्रार्थी/वादी का कोई सबूत/आदेश/निर्णय नहीं है कि रतनलाल वही व्यक्ति है, जो प्रताप का पुत्र था तथा 20 वर्षो से लापता चला आ रहा था। सह खातेदार के विरूद्ध कोई भी स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे अपने हिस्से की कृषि भूमि को बेचान करने/हस्तांतरण करने से रोका नहीं जा सकता है। वादी के द्वारा चालाकी से न्यायालय को अंधेरे में रखकर दिनांक 13.3.2023 को एकतरफा आदेश अपने पक्ष में एकतरफा आदेश प्राप्त कर लिया, जबकि अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर हीं नहीं दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। विभाजन के वादपत्र में खातेदारों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नहीं हो सकती है तथा ना ही वादपत्र अदम हाजरी पैरवी में खारिज हो सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 154/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी वाकै ग्राम सापुन्दा तहसील सरवाड जिला अजमेर की सीमा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 की पैतृक संयुक्त कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है तथा प्रार्थी अपने हिस्से पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोशण करता चला आ रहा है जबकि वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 के नाम इन्द्राज है। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 के पिता व प्रार्थी की माता श्रीमति राधा व स्व. रामेदव के नाम बराबर बराबर हक हिस्से अनुसार इन्द्राज होती चली आ रही है तथा प्रार्थी के भाई रामदेव पुत्र प्रताप की मृत्यु निरवसीयती व ना औलाद हो जाने से तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से बराबर

बराबर हक हिस्से के हकदार है तथा इसी हक हिस्से अनुसार घोषित होने के अधिकारी है। किन्तु सेगरिकेशन के दौरान राजस्व अधिकारीयों द्वारा बीना किसी हक अधिकार के प्रार्थी का हिस्सा इन्द्राज करते समय कम कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 06 द्वारा धन बल एवं बाहुबल के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात में हुए अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर वाद वर्णित आराजीयात को दीगर व्यक्ति को रहन, बैचान बख्शीश करने पर आमादा है एंव इस आशय को लेकर अप्रार्थीगण ने कई व्यक्तियों से बातचीत भी चलाई एंव प्रार्थी के मना करने के बाद भी वादवर्णित आराजीयात को हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है एंव ऐलानिया धमकी दे रहे है कि वादवर्णित आराजीयात को खुर्दबुर्द करने के एंव प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद वर्णित आराजीयात सम्वत् 2069 से 2088 खसरा संख्या 1151 प्रार्थी के नाम इन्द्राज चली आ रही है जिससे प्रार्थी का वादवर्णित आराजीयात से किसी भी कानून या नियम के तहत वंचित नहीं किया जा सकता है किन्तु अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठा कर वाद वर्णित आराजीयात को बिना विभाजन कराये बेदखल कर उक्त आराजीयात को खुर्दबुर्द करना चाहते है। जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक व न्यायोचित हुआ है। वाद वर्णित आराजीयात का आपसी सहमति से मौके पर भौतिक रूप से विभाजन कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात पर तरकियात कर काफी पैसा खर्च कर उपजाउ बनाया जिससे अप्रार्थीगण की नियत बद्व हो गई तथा ऐन केन प्रकार से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। जिससे प्रार्थी का नाम इन्द्राज किया जाकर विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 को उक्त आराजी में सें प्रार्थी की आराजीयात को अलग कर देने एंव राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज करवाकर विधिवत बंटवारा करवाने एंव वादवर्णित आराजीयात को खुर्दबुर्द नहीं करने बाबत् निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 आगबबुला हो गए एंव प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात हम खुदुबुर्द करके रहेंगे हमारे नाम इन्द्राज है हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड सकते हम चाहे जो करेगे। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 04.04.2023 को दिन में अप्रार्थीगण को उक्त वादवर्णित आराजीयात को खुर्दबुर्द करने की धमकी देने तत्पश्चात दिनांक 06.04. 2023 को राजस्व नकले प्राप्त की तब से उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला है एंव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अजहद क्षति का सामना करना पडेगा जिसका मुद्रा में मुल्याकन किया जाना संभव नहीं होगा।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण

को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांट्स अनुपस्थित रहने के पश्चात उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निर्णित होने तक वाद वर्णित आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश दिनांक 13.9.2023 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 20.4.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 5.6.2023, 7.7.2023, 28.8.2023 नियत रही इसके उपरांत पत्रावली 13.9.2023 को नियत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी साधारण नोटिस दिनांक 6.6.2023 को जारी किए गए व उन पर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स का पता सापुन्दा तहसील सरवाड जिला अजमेर अंकन किया गया जबकि अप्रार्थीगण/अपीलांट्स का निवास स्थान ककलाना रोड रेल्वे फाटक के पास ग्राम हटूण्डी, तहसील व जिला अजमेर है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को उक्त नोटिस की कोई जानकारी नहीं रही है चूंकि उक्त नोटिस गलत पते पर जारी किए गए थे। जिससे अपीलांट्स को उक्त वाद की समय पर सूचना नहीं मिल सकी व उक्त नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रकरण में आदेश पारित किया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि साधारण नोटिस जारी किए जाने के पश्चात यदि वह अदम तामील प्राप्त होते है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड एडी के आदेश जारी किए जाने चाहिए थे। उसके पश्चात यदि नोटिस फिर भी तामील नहीं होते तो न्यायालय को जरिए अखबार साया नोटिस तामील करवाए जाने चाहिए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामीली प्रक्रिया नहीं अपनाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामीली के अभाव में विवादित आराजीयात से संबंधित पक्षकारान को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए ही अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर विवादित आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश पारित किए गए जो कि विधिसम्मत नहीं है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को न्यायहित में समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया मात्र प्रकरण में तीन पेशियों के पश्चात ही दिनांक 13.9.2023 को प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही प्रेषित की गई। जबकि उक्त आराजीयात के अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सहखातेदार/काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के एक खातेदार/काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण/अपीलांट्स अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रह गए जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 154/2023

में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वह प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों की विधिवत रूप से तामील सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.8.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर